



**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक: जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एण्ड पी)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे.२\२३दि. ५.११.०९

आदेश

**विषय: कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक
भार वृद्धि घोषणा योजना"।**

कृषि कनेक्शनो के अनाधिकृत बढे हुए भार को नियमित करने हेतु आदेश क्रमांक 690 दिनांक 09.06.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/499) द्वारा "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" प्रसारित की गई थी। उक्त योजना में आदेश क्रमांक 1567 दिनांक 01.09.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/505), क्रमांक 1799 दिनांक 18.09.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/507) एवं क्रमांक 2033 दिनांक 20.10.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/516) के द्वारा आंशिक संशोधन किये गये थे। यह योजना दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 तक प्रभावी है।

इस विषय पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 690 दिनांक 09.06.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/499) व क्रमांक 1567 दिनांक 01.09.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/505), क्रमांक 1799 दिनांक 18.09.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/507) एवं क्रमांक 2033 दिनांक 20.10.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/516) द्वारा संशोधित योजना को दिनांक **30.11.2009** तक बढ़ाया जाता है।

उक्त योजना की सभी शर्तें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार ही रहेगी। इसकी सूचना/जानकारी उपभोक्ताओं को भी दे दी जाये।

आज्ञा से

(एम.एल.त्रिपाठी)

उप मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvn1.com/www.rajenergy.com पर भी उपलब्ध है।